

- Regd - 28A

No. SML-SR-Acq. (57)/2015-- 719-20
Office of the Deputy Commissioner,
Shimla District Shimla, H.P.

Dated Shimla 171001, the 03 th April, 2016

CORRIGENDUM

In partial modification of this office letter No. SML-SR-.
(57)/2014- 670 dated 29-09-2014, vide which the Forest Right Act
Certificate was issued in favour of Executive Engineer, B&R, Division
H.P.P.W.D., Rohru for the construction of Gaonsari to Gosakwari-Raws
road. The total area involved in the case as recommended by the Sub-
Division level Forest Rights Committee Rohru, may be read as 02-02-52
Hect. ~~Instead of 02-05-68 Hect.~~


DEPUTY COMMISSIONER
SHIMLA (H.P.)


Collector,
Shimla District Shimla
Dated 03-05-2016

Endst. No. SML-SR-Acq(57)/2015- 719-20
Copy to :-

1. The Sub-Divisional Officer (Civil) -Cum- Chairman Sub-Division
Level Forest Rights Committee, Rohru District Shimla for
information
- ✓ 2. The Executive Engineer, B&R Division HP PWD, Rohru District
Shimla for information.


Collector,
Shimla District Shimla
~

(28) B

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014- 670

Dated: 29-8-14.

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 02-02-52 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, B&R HPPWD, Rohru for construction of Gaonsari to Gosakwari, Rawsi road Tehsil Chirgaon (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Forest Division in Rohru Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 02-02-52 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure 16
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above


(Dinesh Malhotra)
District Collector, Shimla
Shimla District, Shimla
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT SHIMLA (H.P.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri. Dinesh Malhotra, I.A.S., Deputy Commissioner, Shimla on 09-09-2014 at 11.30 AM at Shimla in which the application claiming rights in Mauja Gaonsari, Goaskwari, Riasi area measuring 02-02-52 Hect for the construction for construction of Gaonsari to Gosakwari, Rawsi road Tehsil Chirgaon of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Rohru Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Shimla

Dated: 09-09-2014


Deputy Commissioner-cum- Chairman
District Level Committee
2

The following members of the District Level Forest Right Committee were present.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Shri D.K. Rattan, Addl. District Magistrate, Shimla | Member Secy |
| 2. Shri Ashok Chauhan, IFS, Divisional Forest Officer, ROhru. | Member |
| 3. Shri Amit Sharma, Divisional Forest Officer, Rampur | Member |
| 4. Shri Sunder Singh, Member, Zila Parishad (Nerwa Ward) | Member |
| 5. Shri Parveen Thakur, DFO Kotgarh | Member |
| 6. Shri. V.K.Sharma, DFO Shimla | Member |
| 7. Smt. Sharda Thakur, Member Zila Parishad | Member |
| 8. Sh. Neeraj Kumar, DFO Theog | Member |

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total 51 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

Sub-Division Theog:-

The following 11 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Theog and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o Lower Kuffer Bag to Serti Shakti Nagar Jubber road
2. C/o Bhageri-Bharech road
3. C/o Dhagru Nalla-Mail-II Kamolthi Dhar Road
4. C/o Ghangroti-Ghasigaon road
5. C/o Ganga Nagar Kot-Banogra-Bageri-Kenchi road
6. C/o Panchayat Bhawan Kamali
7. C/o 220 KV Transmission line from 111 MW Sawra-Kuddu
8. C/o Kungroli-Tharmala Road
9. C/o Link road Rajtari via Kalbhog to H.B Nargan
10. C/o Plant Protection Centre Bhawan Kalbog
11. C/o Store & Office of J.E. Residence

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Theog has recommended the cases on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above

roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

Sub Division Rohru

The following 19 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Rohru and placed before the District level Forest Right Committee:-

12. C/o Bhouli Nala - Darkhuli Road
13. C/o I.T.I. Building Tikkar
14. C/o Jagothi Nala - Chaleli Road
15. C/o Gaonsari-Gosakwari-Rawsi Road
16. C/o Andhra - Mangiyari-Jhanjwani-Gyari Road
17. C/o Pujarli-Harijan Basti Road
18. C/o Chilala-Jakhnoti Road
19. C/o Dhakgaon-Jakhi Road
20. C/o link road Kaala Dhank to Batar
21. C/o link road Nandla to Jhalwari
22. C/o road Tikkar-Khundali-Tunadhar-Kewaldhar (Kali Mandir)
23. C/o office -Cum-store & civil structure of LSS NC/PC habitation
24. C/o link road to village Dyarmoli
25. C/o link road Nakori to Saradhar
26. C/o link road Geri Nallah to Bhaloon
27. C/o link road Sour to Ruhil
28. C/o Storage tank & Store-Cum-office at Pandranu
29. C/o Swerage Chennal in Tehsil Jubbal
30. C/o link road Bakhirna to Thiyanu

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Rohru has recommended the cases on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Rohru, District Shimla, H.P.

Sub-Division Shimla-Rural

Only one case has been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Rural and placed before the District level Forest Right Committee:-

49. C/o Devidhar - Shedal via Ambri Road

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla-Rural has recommended the case on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Shimla-Rural, District Shimla.

Sub-Division Shimla-Urban

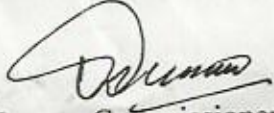
Only two cases have been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Urban and placed before the District level Forest Right Committee:-

50. C/o Car Parking near Tourist Information Centre at old Barrier Shimla

51. C/o District Ayurvedic office & Ayurvedic Health Centre building at Tutikandi

As there is no committee for the Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla-Urban has been constituted/notified by the govt. and on the recommendation/resolution passed by the Municipal Corporation Shimla in its meeting, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Shimla-Urban, District Shimla.

The meeting ended with vote of thanks.


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

Sub-Division Rampur

The following 18 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Rampur and placed before the District level Forest Right Committee:-

31. C/o Sub-Tehsil Building/Mini Secretariate Nankhari
32. C/o Mahila Mandal Bhawan Sarla
33. C/o building Govt. High School Racholi
34. C/o Goshala (Cowshed) at village Khudjabal Koshgar
35. C/o building & play ground of Govt. Sr. Sec. School Khamadi
36. C/o Anganwari Bhawan Khaneri
37. C/o Shalabag-Humtu-Shikari Nala road
38. C/o building for Police Post & Family Quarters at Taklech
39. C/o I&PH office building at Taklech
40. C/o LWSS from Kashapat Khad to Dansa via Pataina Kuhl & Chiksa
41. C/o Manglad to Runpu Khad Road
42. C/o Chasni to Madog Road
43. C/o Gunda Railato-Sharan Road
44. C/o Jarsshi to Pallan Road
45. C/o Firnu mod to Damodbya Gharain Road
46. C/o 66KV Transmission line from Badagaon to Nagan
47. C/o Primary Health Care Centre Malandi
48. C/o office & store building to 2/4 Home Guard Company at Kumarsain

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Rampur has recommended the case on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Rampur, District Shimla,

Annexure-I

OFFICE OF THE SDO CIVIL, ROHRI
DISTRICT SHIMLA (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act 1986.

A Meeting of the ^{Sub-Division} District level Committee of Rohri Sub Division, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr. Y. P. S. Verma, H.A.S. SDO (Civil) Rohri on 25-7-2014 at 4.00 AM PM at Rohri (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Gaoneali Gram Sabha, claiming rights U.F. Gaoneali, Goskwan, Rawsi forest area (s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Gaoneali Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1	<u>Gaoneali</u>	<u>U.F. Gaoneali</u>	<u>Motor road Gaoneali</u>
2	<u>Gaoneali</u>	<u>Goskwan, Rawsi</u>	<u>To Goskwan, Rawsi</u>

No claim received

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1	/	/	/
2	/	/	/

OR

As informed by Gaoneali Gram Sabha on application was received claiming rights in 02-02-52 forest area Hect

Place: Rohri
Date: 25-7-2014

SDO (Civil)-cum-Chairman/ Chairperson
Rohri Distt Shimla HP

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारंटी) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत

गाँवसारी

विकास खण्ड छौहारा

जिला शिमला

हि० प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

आध्यक्षता श्री/श्रीमती

ललीता देवी

दिनांक 25-6-2014

गावपूरी 7/7

प्रस्ताव संख्या: 7

विषय: लोक निर्माण विभाग/संस्था को गाँवसारी से जोस्कवाड़ी राउसी सड़क के निर्माण हेतु प्लान गाँवसारी PF जोस्कवाड़ी PF राउसी जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 02-02-52 हेमेटयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापीत प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत/ग्राम सभा गाँवसारी की बैठक आज दिनांक 25-6-2014 को 11 वजे स्थान पंचायत मुख्यालय गाँवसारी में की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग/संस्था को गाँवसारी से जोस्कवाड़ी राउसी सड़क के निर्माण हेतु प्लान गाँवसारी जोस्कवाड़ी राउसी वन प्रखण्ड शेड्ड जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 02-02-52 हेमेटयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापीत प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सर्वान्वित वन भूमि के प्रस्तावित अधि हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारंटी) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारे प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा अधिकारों प्रस्तावित 02-02-52 हेमेटयर वन भूमि को गाँवसारी से जोस्कवाड़ी राउसी सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत गाँवसारी की सहमति दी जाती है।

स्थान :- ग्राम पंचायत गाँवसारी

दिनांक :- 25-6-2014

सचिव 
ग्राम पंचायत गाँवसारी
विकास खण्ड छौहारा
तहसील चडगांव, जिला शिमला हि० प्र०

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत गाँवसारी

तहसील चडगांव जिला शिमला हि० प्र०

आज दिनांक 16-6-2014 को वन अधिकार समिति ग्राम राउसी की बैठक अध्यक्ष श्री विरेन्द्र की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निम्नांकित कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव सं० 1
विषय: गावसरी से जोड़कर राउसी सड़क निर्माण कार्य की अन्तर्गत प्रमाण पत्र बौर। (N.O.C)

बैठक में सभी उपस्थित ग्राम वीसों ने सर्वोच्च वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम राउसी के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया है:

क्र०	नाम	पिता व परिवार	गांव	पदनाम	जाति	हस्ताक्षर
1	श्री विरेन्द्र	भगत राम	राउसी	अध्यक्ष	सामान्य	विरेन्द्र
2	श्री केशव सिंह	सुरेश राम	"	सचिव	"	Shauhan
3	श्री सुनील कुमार	भोगाराम	"	सदस्य	"	Sun
4	श्री कुलदीप	मैन राम	"	"	"	N. N.
5	श्री हरदेव देवी W/O	जाधव मल	"	"	"	हरदेव
6	श्री राजकुमार W/O	वेद प्रकाश	"	"	"	Rajbanti
7	श्री सुनील देवी W/O	पुनना लाल	"	"	"	कमल देवी
8	श्री सोन W/O	सुख कुमार	"	"	"	सुख
9	श्री निवेश	राम राम	"	"	"	निवेश
10	श्री राजेश	बाबुराम	"	"	"	राजेश

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित मोटर सड़क के उपयोग में होने वाली वन भूमि की अनुमति वर सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सर्वोच्च अधिकारियों को अपाणी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।

प्रधान

विरेन्द्र

सचिव

राउसी

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नकल कार्यवाही के अनुरूप है।

विकास

वन अधिकार

विकास मण्डल द्वारा जिला शिमला हि.प्र.०

राउसी

सचिव

वन अधिकार समिति राउसी

14-6-2014 चंडगांव जिला शिमला हि.प्र.०

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा - राउसी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 16-6-2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा

राउसी

की बैठक आज दिनांक -

16-6-2014 को 11:00 बजे स्वान भवन राउसी में श्री/श्रीमती विरेन्द्र कुमार जी

अध्यक्षता में की गई जिसमें - राउसी गांव/गांवों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत P.F. राउसी - जंगल/वन क्षेत्र से संबंधित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें गांव/गांवों से गांव/गांवों, राउसी से राउसी के निर्माण के लिए 02-02-52 - हेमशर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची की श्री/श्रीमती - NIL - का जंगल वन क्षेत्र में - NIL - के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही प्रमाण/साही नहीं लगाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है। तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्वान - राउसी
दिनांक 16-6-2014

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड छोहरा
ग्राम पंचायत
बिनास खोहरा
ग्राम पंचायत

प्रांतीय/राज्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

वन अधिकार समिति

प्रधान
सचिव
ग्राम पंचायत
व. अधिकार समिति राउसी

वि. गांव छोहरा जि. राउसी
ग्राम
वन अधिकार समिति राउसी
विकास खण्ड छोहरा जि. राउसी

कार्यालय वन अधिकार समिति राउसी ... ग्राम पंचायत जौबसारी ग्राम
 राउसी - विकास खण्ड छोहरा तहसील - चंडगाव जिला मित्रलहि.प्र०
 सचिव
 - करतार सिंह

प्रस्ताव संख्या - - -

आज दिनांक 16-6-2014 को वन अधिकार समिति की बैठक समिति अध्यक्ष
 श्री विरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में होकर निम्न कार्यवाही अगल में
 की गई।

प्रस्ताव संख्या 1

मेयर मांजी जौबसारी से जोम्कवाड़ी राउसी तक पड़ने वाली वन भूमि
 का अनापीत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए (N.O.C)
 आज की बैठक में सभी समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से
 प्रस्ताव अगल में लाया गया कि मेयर मांजी जौबसारी से जोम्कवाड़ी
 राउसी तक पड़ने वाली वन क्षेत्र में होने वाली कटिंग पर क्षेत्र के
 किसी भी सदस्य का समझ नहीं है शरिमां 02-02-52 हेक्टर
 अतः समिति द्वारा अनापीत प्रमाण पत्र जारी
 किया जाता है।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

दिनांक

प्रधान

सचिव

स्थान 16-6-2014
 व. राउसी समिति राउसी
 वि. विकास खण्ड छोहरा तहसील
 प्रधान
 वन अधिकार समिति राउसी
 विकास खण्ड छोहरा जिला मित्रलहि.प्र०

ग्राम पंचायत गांवसारी विकास खण्ड छीहरा तहसील चंडगांव जिला
शिमला हि. प्र.

कार्यलय वन अधिकार समिति - जोस्कवाडी

आज दिनांक 15-6-2014 को वन अधिकार समिति ग्राम जोस्कवाडी बैठक अध्यक्ष श्री चैनराम की अध्यक्षता में बुलाई गई जिस में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित कार्य वही अभिलेख में लिखे गए।

प्रस्ताव सं. 1

विषय: गांवसारी से जोस्कवाडी राउसी सड़क निर्माण कार्य की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी। (N.O.C)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सर्वोन्मुखित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के उपरान्त सब सहमत हो यह निर्णय लिया कि ग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया है

नाम	पिता व पतिक नाम	गांव	पदनाम	जाति	हस्ताक्षर
चैनराम	दर्शनदास	जोस्कवाडी	अध्यक्ष	सामान्य	
अशोक कुमार	गोतमसैन	"	सचिव	"	
विश्वकर् सिंह	धनप	"	सदस्य	"	
राजेश कुमार	शुशीराम	"	"	"	
सुनील कुमार	केशर सिंह	"	"	"	
प्रकाश चन्द	रंगदास	"	"	"	
राजदेवी w/o	शिव-दास	"	"	"	
पसमदेवी w/o	नटारस	"	"	"	
रतनादेवी w/o	मालराम	"	"	"	
विनताज w/o	मानसिंह	"	"	"	

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित गैर सड़क के उपयोग में आने वाली वनभूमि की अनुमति वारे सदस्यों ने सहमत व्यक्त की है यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सर्वोन्मुखित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संचित की जाती है। प्रस्ताव सब सहमत से पारित व स्वीकार है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त

सचिव

वन अधिकार समिति जोस्कवाडी

विकार

खण्ड छीहरा जिला शिमला हि. प्र.

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यवाही के अनुकूल है।

आज दिनांक को वन अधिकार समिति ग्राम को बैठक अध्यक्षीयता में बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निर्माणाधीन कार्य वही अग्रिम में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या १।
विषय: गावसारी में गैर-कृषि राउसी सड़क निर्माण कार्य को अनापीत प्रमाण पत्र वॉर। (N.O.C)

बैठक में सभी उपस्थित ग्राम वॉसों ने सर्वोच्च वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि ग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया है:

क्र.	नाम	पिता व पति का नाम	गांव	पदनाम	जगति	हस्ताक्षर

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित गैर-कृषि सड़क के उपयोग में होने वाली वन भूमि को अनुरोधित वॉर सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है यह अनुरोध वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सर्वोच्च अधिकारियों को अग्रिम आवश्यक कमिटी हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।

प्रधान

साचिव

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नक्का कार्यवाही के अनुरूप है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा - गोरकवाडी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या I

दिनांक 15-6-2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा - गोरकवाडी

की बैठक आज दिनांक -

15-6-2014 को 14:00 बजे स्थान - भन्डर पंगण गोरकवाडी की श्री/श्रीमती चन्द्रम - की अध्यक्षता में की गई जिसमें - गोरकवाडी - गांव/गांवों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत P.F. - गोरकवाडी जंगल/ वन क्षेत्र से के सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें गांव/गांवों से गोरकवाडी राउट से सड़क - के निर्माण के लिए 02-02-58 - हैमशर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची की श्री/श्रीमती - NIL - - का जंगल/ वन क्षेत्र में - NIL - - के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही प्रमाण/ साही नहीं छाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को परित करने हेतु इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है। तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान गोरकवाडी

दिनांक 15/6/2014

सचिव
ग्राम पंचायत गोरकवाडी
विकास खण्ड छोहरा
ग्राम पंचायत गोरकवाडी जिला शिमला हि १०
ग्राम पंचायत - - -

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिस के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

वन अधिकार समिति

प्रधान

सचिव





वन अधिकार समिति

गोरकवाडी

विकास खण्ड छोहरा

जिला शिमला हि १०

प्रधान

सचिव

वन अधिकार समिति गोरकवाडी

विकास खण्ड छोहरा जिला शिमला हि १०

कार्यालय वन अधिकार समिति गोरकवाडी ग्राम पंचायत जिला गोरखपुर

- विकास खण्ड छोहरा तहसील - चंडाब जिला गोरखपुर

सोमवार
- अशोक सिंघा

प्रस्ताव संख्या - - -

आज दिनांक 15-6-2014 को वन अधिकार समिति की बैठक समिति अध्यक्ष
जी - चैनराय की अध्यक्षता में होकर निम्न कार्यवाही अगल में
काई गई।

प्रस्ताव संख्या 1

मेजर मांज गोरखपुरी से जोड़करवाडी राउसी तक पड़ने वाली वन भूमि
का अनापीत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए (N.O.C)
आज की बैठक में सभी समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से
प्रस्ताव अगल में लाना गया कि मेजर मांज गोरखपुरी से जोड़करवाडी
राउसी तक पड़ने वाली वन क्षेत्र में होने वाली काटिंग पर क्षेत्र के
किसी भी सदस्य का एक्काई नहीं है एरिया 02-02-52 हेक्टर
अतः समिति द्वारा अनापीत प्रमाण पत्र जारी
किया जाता है।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

दिनांक 15/6/2014

प्रधान

सोचिव

(Signature)

प्रधान

सोचिव

वन अधिकार समिति गोरकवाडी
विधान 4-03-2014 जिला गोरखपुर 40

वन अधिकार समिति गोरकवाडी
विकास खण्ड छोहरा जिला गोरखपुर 40

**ग्राम पंचायत गाँवसारी विकास खण्ड द्वारा तैयार किया गया
शिमला हिमप्र**

कार्यालय वन अधिकार समिति - गाँवसारी

आज दिनांक 8-6-2014 को वन अधिकार समिति ग्राम गाँवसारी की बैठक अध्यक्ष श्री श्रीजी लाल की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिस में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लड़ी गई।

प्रस्ताव संख्या 1
विषय:- गाँवसारी में गोष्पकवी राइस सड़क निर्माण कार्य की अनुमति प्रमाण पत्र जारी। (N.O.C.)

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गाँव गाँवसारी के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है इस संबंध में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया है।

नाम	पिता व पति का नाम	गाव	पदनाम	जाति	हस्ताक्षर
श्रीजी लाल	कुशलराज	गाँवसारी	अध्यक्ष सामान्य		
निवेदिका w/o	दीप चन्द	"	सचिव	"	Nivedika
रakesh कुमार	सीतल चन्द	"	सदस्य	"	Rakesh Kumar
आरशा देवी	मलना सिंह	"	सदस्य	"	आरशा देवी
अनिल	दिवान चन्द	"	"	"	Anil
जाड सिंह	सोहन	"	"	अनुजाति	Jaad Shi
वकीला w/o	जोतीराज	"	"	अनुजाति	वकीला देवी
भगवान सिंह w/o	गोपाल सिंह	"	"	सामान्य	Bhagwan Singh
जगदीश चन्द w/o	जगदत्त	"	"	"	Chand
केशवराज	सुरतराज	"	"	"	केशवराज
धर्मदा w/o	मंगल सिंह	"	"	"	Darmenda

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित कार्य सड़क के उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति वर सतर्कता से सर्वोत्तम ध्यान दी है यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।

प्रमाणित करने, सचिव
नवेदिका

प्रमाणित करने, अध्यक्ष
श्रीजी लाल

वन अधिकार समिति गाँवसारी

शिमला हिमप्र द्वारा तैयार किया गया

शिमला हिमप्र द्वारा तैयार किया गया

शिमला हिमप्र द्वारा तैयार किया गया

शिमला हिमप्र द्वारा तैयार किया गया

शिमला हिमप्र द्वारा तैयार किया गया

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नकल कार्यालय के अनुसार है।

**ग्राम पंचायत गावदास विकास इन्क. द्वारा तैयार की गई गावदास विकास
कार्यालय वन अधिकार समिति**

आज दिनांक _____ को वन आचार विधान ग्राम _____ की बैठक _____ में
की अध्यक्षता में बुलाई गई जिस में उपस्थित _____ लोग सभा में
निम्नांकित कार्यवाही कराई गई है।

प्रस्ताव संख्या 1

विवरण: गावदास में गावदास विकास समिति द्वारा निर्माण कार्य को
अनुरोध प्रमाण पत्र जारी। (NOC)

बैठक में सभी उपस्थित ग्राम लोगों ने सहमति वन ग्राम में प्रस्तावित कार्य को
गावदास के उद्देश्यों के पुनः पुनर्जांच के अंतर्गत गावदास विकास समिति द्वारा निर्माण कार्य
को अनुरोध प्रमाण पत्र जारी वन ग्राम विकास समिति को जारी
आदेश नही है इस बैठक में निम्न वन आचार विधान समिति ने आज निर्णय है:

क्र	नाम	पिता व परिवार नाम	गांव	पदनाम	जति	हस्ताक्षर

बैठक में उपस्थित प्रस्तावित गावदास विकास समिति, गावदास में गावदास वन
की अनुरोध वन प्रमाण पत्र सहमति प्राप्त की है यह अनुरोध वन अधिकारी
की मांगता अनुरोध पत्र 2006 के अंतर्गत सहमति अनुरोध पत्रों को अनुरोध
अवश्यक कार्यवाही देते हुए निर्णय को जारी है। प्रस्तावित गावदास विकास समिति से निर्णय
हो आचार है।

प्रमाणित: _____
समिति _____
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
निर्णय को अनुमति है।

અનુસૂચિત જનજાતો અને અન્ય પડખપાગત વન નિવાસી (વન સીધવાસી) ની માન્યતા) સીધાનિયમ 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा - गावसारे

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव स्वरूपा

दिनांक 8/6/2014

वन अधिकार समित ग्राम समा

माधवराव

की बेटक आज दिनांक -

02/02/2014 को 11:00 बजे स्वयं भेदित प्रमाण गवाहों से श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती को
अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता)
आधिनियम 2006 के अन्तर्गत 14F - गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन
होने प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें गांव/गावों से गांव/गावों, घाट, सड़क - के निर्माण के
लिए 02-02-52 - हैमर वन के उपयोग भूमि की अनुसूची प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची की श्री/श्रीमती - NAL - - का जगल/ वन क्षेत्र में - NAL - - के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/ सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड 2 स्टब की समिति को प्रेषित करती है।/ तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

रूपाय ७
जावसाही

दिनांक २६/२०/५

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड
ग्राम पंचायत

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

वन अधिकार सीमा

प्रधान

सहित

Nivedika

सध्याच्याकालीन

संवि.

१. अपने अधिकारों को जीवित रखो
वि- विकास स्वयं ही है।

স্থান

वन अधिकार ५११-५१२

विकास स्वण्ड छोटाग जिला गिमला 180 ५०

कार्यालय वन अधिकार समिति जाँवसारी ग्राम पंचायत जाँवसारी ग्राम
- विकास खण्ड छोटारा तहसील चंडाब जिला शिमला हि.प्र.
सोचिव
- नीवेदीका

प्रस्ताव संख्या - - -

आज दिनांक 8-6-2014 को वन अधिकार समिति की बैठक समिति अध्यक्ष
श्री शोबी लाल की अध्यक्षता में होकर निम्न कार्यवाही अगले में
काई गई।

प्रस्ताव संख्या 1

मोटर मार्ग जाँवसारी से जोस्कवाड़ी राउसी तक पड़ने वाली वन भूखंड
का अनापीत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए (N.O.C)
आज की बैठक में सभी समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से
प्रस्ताव अगले में लाया गया कि मोटर मार्ग जाँवसारी से जोस्कवाड़ी
राउसी तक पड़ने वाले वन क्षेत्र में होने वाली कटिंग पर क्षेत्रों के
किसी भी सदस्य का सख्त नहीं है सख्त 02-02-52 हैमर
अतः समिति द्वारा अनापीत प्रमाण पत्र जारी
किया जाता है।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

दिनांक 8/6/2014

प्रधान सोचिव
नीवेदीका
वन अधिकार समिति जाँवसारी
विकास खण्ड छोटारा जिला शिमला हि.प्र.
प्रधान
वन अधिकार समिति जाँवसारी
विकास खण्ड छोटारा जिला शिमला हि.प्र.